भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1043

09 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

भूकंपीय परिवर्तनों का भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा पर प्रभाव

1043 डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बार-बार होने वाले भूकंपीय परिवर्तन एवं उनसे संबंधित भू-भौतिकीय गतिविधियाँ भवनों की संरचनात्मक मजबूती और स्थिरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों एवं अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से इस प्रकार भूकंपीय घटनाओं से इमारतों के अचानक ढहने से उत्पन्न होने वाले खतरों का आकलन किया है;

(ग) भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकंपीय रोधक्षमता सुनिश्चित करने से संबंधित वर्तमान में प्रचलित दिशानिर्देशों अथवा मानकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार आकस्मिक ध्वस्तीकरण के जोखिम को न्यूनतम करने हेतु भवनों की आवधिक संरचनात्मक एवं भूकंपीय सुरक्षा संपरीक्षा को अनिवार्य करने संबंधी विनियम बनाने का विचार रखती है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, भवन योजना अनुमोदन और भवन उप-नियमों के प्रवर्तन सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार को इस बात की जानकारी है कि भूकंप और संबंधित भू-भौतिकीय गतिविधियां भवनों की संरचनात्मक मजबूती और स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, विशेष रूप से जहां भवनों का डिजाइन लागू भूकंपीय सुरक्षा प्रावधानों के

अनुसार नहीं होता है और जहां मौजूदा संरचनाओं में कमजोरियां हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने आदर्श भवन उप-नियम (एमबीबीएल) - 2016 (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/MBBL.pdf) प्रकाशित किए हैं, जिनमें अध्याय -6 संरचनात्मक सुरक्षा के प्रावधानों, और भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा और भूकंपीय रोधन से संबंधित दिशानिर्देश/मानक निर्धारित करता है।

इसके अलावा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी), 2016 प्रकाशित की है, जो देश भर में भवन निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक मॉडल कोड है। आईएस 1893 (संरचनाओं के भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन के लिए मानदंड), आईएस 13920 (प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं का नमनीय विवरण) और अन्य संबद्ध संहिताओं जैसे प्रासंगिक बीआईएस मानकों के साथ एनबीसी इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा और भूकंपीय रोधन से संबंधित विस्तृत प्रावधान निर्धारित करता है, जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उनके भवन विनियमों के रूप में अपनाया और लागू किया जाता है।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने भूकंप प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें सुरक्षित निर्माण, संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और भवनों के पुन:संयोजन विशेष रूप से लाइफ-लाइन और महत्वपूर्ण अवसंरचना सहित भूकंप जोखिम में कमी लाने के लिए मार्गदर्शन दिए हैं। (https://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/Guidelines/earthquakes.pdf)

आवधिक संरचनात्मक और भूकंपीय सुरक्षा ऑडिट, भवन निरीक्षण व्यवस्थाओं और अनुपालन अपेक्षाओं से संबंधित विनियम और प्रवर्तन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और यूएलबी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

****